भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2264

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशुल्क औषधि सेवा पहल

†2264. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निःशुल्क औषधि सेवा पहल और आवश्यक औषधि सूची (ईएमएल) के बावजूद, किशोर टाइप-1 मधुमेह रोगियों के लिए इंसुलिन कई सरकारी अस्पतालों में लगातार उपलब्ध नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में हुई उस दुखद घटना का संज्ञान लिया है जहाँ एक व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी मधुमेह पीड़ित बेटी के लिए इंसुलिन का खर्च वहन नहीं कर सकता और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निःशुल्क औषधि सेवा पहल के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि निःशुल्क इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, इंसुलिन पंप और संबंधित उपभोग वस्तुएं गरीब और जरूरतमंद रोगियों तक परिकल्पित रूप से पहुँच सकें;

(घ) क्या राज्य-स्तरीय खरीद, स्टॉक निगरानी और वितरण तंत्र में कमियों की समीक्षा करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी जनस्वास्थ्य सुविधाओं में विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): एनएचएम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन-सीमा के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए देश भर के जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सुविधा केंद्रवार आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। विभिन्न सुविधा केन्द्रों में

अनुशंसित दवाओं की संख्या नीचे दी गई है। तथापि, राज्यों के पास और अधिक जोड़ने की छूट है।

क्रम संख्या	सुविधा केंद्र का नाम	आवश्यक दवाओं की संख्या
1	डीएच	381
2	एसडीएच	318
3	सीएचसी	300
4	एएएम-पीएचसी	172
5	एएएम -उप केंद्र	106

बाल चिकित्सा और किशोर रोगियों के ग्लाइसेमिक नियंत्रण के लिए आवश्यक निम्नलिखित इंसुलिन आवश्यक दवा सूची में शामिल हैं:

- इंसुलिन (सोल्यूबल) इंजेक्शन 40 आईयू /एमएल 2
- इंसुलिन लेंटे बेसल
- इंजेक्शन इंसुलिन रैपिड
- इंजेक्शन इंसुलिन मिक्सटार्ड
- प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 इंजेक्शन (रेग्युलर: एनपीएच)
- प्रीमिक्स इंसुलिन 30:70 इंजेक्शन 40 आईयू /एमएल 3

इन औषधियों की उपलब्धता राज्य-स्तरीय खरीद प्रणालियों पर निर्भर करती है और यह मंत्रालय पर्याप्त स्टॉक स्तर को बनाए रखने के लिए राज्यों की निगरानी और सहायता करता रहता है।

अपनी मधुमेह पीड़ित बेटी के इलाज के लिए इंसुलिन की अनुपलब्धता के कारण एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने की खबरों के संबंध में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके संज्ञान में ऐसी किसी घटना से संबंधित कोई वीडियो नहीं है।

नि:शुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) को सुदृढ़ करने तथा इंसुलिन जैसी आवश्यक दवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- एनएचएम के अंतर्गत राज्यों को औषधि की प्राप्ति , भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- बफर स्टॉक का रखरखाव करने और अन्तिम छोर तक वितरण को सुनिश्चत करने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

राज्यों को ग्लूकोमीटर, इंसुलिन पंप और संबंधित उपभोग्य सामग्रियों को अपनी विस्तारित आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत या अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे गैर-संचारी रोग (एनसीडी) पहल या प्रासंगिक राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शामिल करने की छूट है।

इस मंत्रालय ने प्राप्ति, आपूर्ति श्रृंखला और स्टॉक प्रबंधन में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए बहु-स्तरीय निगरानी दृष्टिकोण अपनाया है। कई राज्यों ने प्राप्ति, खपत और पुनःपूर्ति पर नज़र रखने के लिए दवा और टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीवीडीएमएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाए हैं। सरकार समीक्षाएं करती है, एड्वाइजरियां जारी करती है और औषधि के गोदामों और लॉजिस्टिक के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करती है।

*****